

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर (राज0)

क्रमांक :-स्था./2024/8216

दिनांक :- 24/12/2024


आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या. जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड-II/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a) 88/22/1271 दिनांक 20.12.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन सीकर न्यायक्षेत्र को आवंटित निम्न अभ्यर्थियों को 02 वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में लिपिक ग्रेड-II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह/02 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/-मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे :-

SR. No.	Merit No	Roll No	Candidate's Name	DOB	Category	Gender
1	NTSP-W-6	170900	SUNIL BISHNOI	26-07-1998	GEN	Male
2	NTSP-W-66	167560	NIVEDITA MARU	01-06-1995	OBC	Female
3	NTSP-W-82	166689	SUSHIL KUMAR	01-07-1998	SC	Male
4	NTSP-W-110	166069	RAKESH KUMAR MEENA	10-07-2000	ST	Male

शर्तें :-

- (1) सभी नियुक्तियां कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II की संयुक्त परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- (2) प्रथम 06 माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (3) प्रथम 06 माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर 02 वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे मेट्रिक्स) में न्यूनतम द्रव्य वेतन नियत किया जावेगा।
- (4) अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (5) पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (6) अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- (7) राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
- (8) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीकर न्यायक्षेत्र में दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 01.01.2025 नूतन वर्ष अवकाश होने के कारण उक्त आदेश दिनांक 02.01.2025 से प्रभावी होगा। अभ्यर्थी को उक्त आदेश की प्रभावी दिनांक 02.01.2025 से 07 दिवस के भीतर (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।


24/12/2024
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
सीकर (राज०)

.....2

(2)

- (9) नव-नियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
- (10) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (11) अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थान पर पहुँचने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (12) अभ्यर्थीगण को कार्य ग्रहण करने से पूर्व संलग्न सांख्यांकन-पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व ATTESTATION FORM (पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन हेतु) भरकर/बाद पूर्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- (13) अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजात सत्यापन हेतु पेश करने होंगे तथा आयु, शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी अर्हता, जाति, वैवाहिक स्थिति आदि की एक-एक सत्य प्रतिलिपि ड्यूटी ज्वॉइन करने के समय प्रस्तुत करनी होगी।
- (14) अभ्यर्थी को लिपिक ग्रेड-II के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस कार्यालय (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर) में उपस्थित होकर सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सीकर (राज0)

दिनांक :- 24/12/2024

क्रमांक :-स्था./2024/8224

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- श्री सुनिल बिश्नोई पुत्र श्री शिवलाल बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी जाखानियां पोस्ट कालरी तहसील व जिला नागौर (राज0) 341001
(मो.नं.-80055-66121)(EMail-ID snlbshn@gmail.com)
- 2- निवेदिता मारु पुत्री श्री राकेश कुमार मारु जाति नाई निवासी वार्ड नंबर 20 रंगवाली फ़ैक्ट्री वाली गली, पुरानी लाईन, चौपडा बाडी, गंगाशहर, बीकानेर (राज0) 334001
(मो.नं.-80582-79781)(EMail-ID niveditamaru123@gmail.com)
- 3- श्री सुशील कुमार पुत्र श्री प्रताप हरिजन जाति हरिजन निवासी वार्ड नंबर 03, सिद्धमुख जिला चूरु नागौर (राज0) 331701
(मो.नं.-96948-84761)(EMail-ID subhkiroriwal@gmail.com)
- 4- श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री मदन लाल मीणा जाति मीणा निवासी मीणों का मौहल्ला भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0) 332709
(मो.नं.-82098-52599)(EMail-ID rasrakesh107@gmail.com)
- 5- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति आदेश कार्यालय की बैवसाईट पर अपलोड करे तथा संबंधित अभ्यर्थी की ई-मेल आई.डी. पर भी भेजे।
- 6- लेखा शाखा
- 7- आदेश/संबंधित/निजी पंजिका.....

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
सीकर (राज0)